(Authoritative English Text of this Department Notification No. Fish-F(10)-4/2014 dated................. as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Fisheries.

No. Fish-F(10)-4/2014. **Dated Shimla-2, the 30. 5. 2023.**

NOTIFICATION

Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Fisheries, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the 'Department'), is administering the Management and Development of Reservoir Fisheries (hereinafter referred to as the Scheme) to provide Gill Net/Cast Net to reservoir/ riverine fishermen for General category, which is being implemented through the Department of Fisheries, Himachal Pradesh (hereinafter referred to as the Implementing Agency(ies);

And whereas, under the Scheme, Management and Development of Reservoir Fisheries Gill Net/Cast Net are given to the reservoir/ riverine fishermen of General category (hereinafter referred to as the 'beneficiaries'), by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of the State of **Himachal Pradesh**.

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targetted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Himachal Pradesh hereby notifies the following, namely:-

1\. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Tehsil, the department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely:-

(a)If he has enrolled, his Aadhaar Enrolement Identification slip, and

(b) Any one of the following documents, namely:-

(i)Bank or Post office Passbook with Photo; or

(ii)Permanent Account Number (PAN) Card; or

(ii)Passport; or

(iv)Ration Card; or

(v)Voter Identity Card; or

(vi)MGNREGA card; or

(vii)Kisan Photo passbook; or

(viii)Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(ix)Certificate of identity having photo of such person issued by the Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(x)Any other document as specified by the Department;

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through the media to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a)In case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b)In case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One- Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) In all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response (QR) code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India, dated 19th December, 2017.
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order

Rakesh Kanwar
Secretary (Fisheries) to the
Government of Himachal Pradesh.

Endst. No. Fish- F (10)-4/2014 Dated Shimla-2, 30. 5. , 2023

Copy is forwarded to the following:-

1. All the Addl. Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2
2. The Addl. L.R.-cum-Addl. Secy. (Law-legal) to the Government of Himachal Pradesh.
3. The Director-cum-Warden of Fisheries, Himachal Pradesh, Bilaspur-174001. He is requested to upload the same in the departmental website for public domain.
4. The Director, Information & Technology Department, IT Bhawan Mehli, Shimla-9.
5. The Joint Director/Deputy Director of Fisheries (Headquarter), Directorate of Fisheries, Bilaspur-174001.
6. The Deputy Director of Fisheries, Trout Fish Farm, Patlikuhal, Distt. Kullu, H.P.
7. All the Assistant Director of Fisheries, in Fisheries Department, Himachal Pradesh.
8. The Controller, Printing & Stationery Department, Shimla-5 for publication in the Rajptra/e-Gazette of Himachal Pradesh.

Email

(Urmila Gupta)
Joint Secretary (Fisheries) to the
Government of Himachal Pradesh.

*****

हिमाचल प्रदेश सरकार
मत्स्य पालन विभाग

संख्याः फिश–एफ(10)–4 / 2014 तारीख शिमला–2, 30-5-,2023

अधिसूचना

सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायिकियों के परिदान के लिए आधार का एक पहचान दस्तावेज के रूप में उपयोग, सरकार की परिदान प्रक्रिया को सुगम बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में अपनी पहचान साबित करने के बहुविध दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हटाकर प्रत्यक्षतः उन्हें अपनी हकदारियां प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाता है;

मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसके पश्चात् 'विभाग' कहा गया है) सामान्य श्रेणी के लिए के लिए जलाशय / नदी के मछुआरों को गिल नेट / कास्ट नेट प्रदान करने अनुरक्षण के प्रबंधन और विकास (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'स्कीम' कहा गया है) को प्रशासित कर रहा है, जिसे मत्स्य पालन विभाग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कार्यान्वयन अभिकरण' कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

स्कीम के अन्तर्गत, जलाशय / नदी के मछुआरों को गिल नेट / कास्ट नेट, जलाशय मत्स्य पालन का प्रबंधन और विकास हेतु सामान्य श्रेणी को (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'लाभार्थी' कहा गया है) कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा, विद्यमान स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार प्रदान् किया जाता है;

और पूर्वोक्त स्कीम में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वलित है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करते हैं, अर्थात्:–

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यष्टि को एतद्द्वारा आधार संख्या धारण करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या आधार अधिप्रमाणन प्राप्त करना होगा।

(2) स्कीम के अन्तर्गत प्रसुविधाएं प्राप्त करने की वाँछा रखने वाले व्यष्टि, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है, को स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण से पूर्व आधार के नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसे व्यष्टि आधार का अभ्यावेशन करवाने के लिए किसी आधार अभ्यावेशन केन्द्र (सूची भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0 आई0 डी0 ए0 आई0) वैबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर जाएगा:

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं है और यदि संबंधित खण्ड या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के समन्वय में सुविधाजनक स्थानों पर या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परन्तु जब तक व्यक्ति को आधार समनुदेशित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी, अर्थात्:–

(क) यदि उसने उसकी आधार अभ्यावेशन पहचान पर्ची, को अभ्यावेशित किया है; और

(ख) निम्नलिखित में से कोई दस्तावेज है, अर्थात्;

(i) फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) मनरेगा कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय शीर्षनामा पर जारी ऐसे व्यक्ति के फोटो की पहचान वाला प्रमाण पत्र; या

(x) विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु यह कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा उस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रुप से नामनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. स्कीम के अन्तर्गत सुविधापूर्वक लाभार्थियों को प्रसुविधाएं उपलब्ध करवाने के आशय से विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए समस्त अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि उक्त अपेक्षाओं हेतु, उन्हें जागरूक करने के लिए, लाभार्थियों हेतु मीडिया के माध्यम से, व्यापक प्रचार किया गया है।

3. उन समस्त मामलों में, जहाँ लाभार्थियों के अपकृष्ट (अस्पष्ट) बायोमैट्रिक के कारण या किसी अन्य कारण से, आधार प्रमाणन असफल रहता है, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक क्रियाविधि अंगीकृत की जाएगी, अर्थात्:—

(क) अस्पष्ट उंगली छाप क्वालिटी की दशा में, अधिप्रमाणन हेतु आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अंगीकृत की जाएगी, तद्द्वारा विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से प्रमाणन के लिए निर्बाध रीति में प्रसुविधाओं के परिदान हेतु उंगली—छाप अधिप्रमाणन सहित आंख की पुतली के स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए व्यवस्थाएं करेगा;

(ख) उंगली छाप या आंख की पुतली का स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन की असफलता की दशा में, जहां कहीं भी साध्य और ग्राह्य है, सीमित समय वैधता सहित, यथास्थिति, एक बार आधार पासवर्ड या समयाधारित एक बार पासवर्ड प्रदान किया जाएगा;

(8)

(ग) उन समस्त अन्य मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या एक बार आधार पासवर्ड या समय आधारित एक बार पासवर्ड अधिप्रमाणन सम्भव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन प्रसुविधा आधार वर्ण (अक्षर), जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड के माध्यम से सत्यापित की जाएगी और तुरन्त प्रत्युत्तर (क्यू.आर.) कोड का अर्थ लगाने (पढ़ने के लिए) के लिए विभाग सुविधाजनक स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था करेगा।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि स्कीम के अधीन किसी वास्तविक लाभार्थी को उसकी सम्यक प्रसुविधाओं से वंचित न किया जाए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से डी बी टी मिशन, केबिनट सचिवालय, भारत सरकार के तारीख 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन में यथाउल्लिखित हथालन क्रियाविधी अपवाद का अनुसरण करेगा।

5. यह अधिसूचना राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,

सचिव (मत्स्य पालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः फिश–एफ(10)–4/2014 तारीख शिमला–2, 30.5. 2023

प्रतिलिपि :–

1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2 अतिरिक्त विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
3 निदेशक एवं प्रारक्षी मत्स्य, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर–174001। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना को विभागीय वैबसाईट में अपलोड करवाने की कृपा करें।
4 निदेशक, सूचना प्रोद्यौगिकी विभागं, सूचना प्रोद्यौगिकी भवन मैहली, शिमला–9
5 संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक, मत्स्य (मुख्यालय), मत्स्य निदेशालय, बिलासपुर–174001
6 उप निदेशक, मत्स्य ट्राऊट फार्म, पतलीकुहल, जिला कुल्लु, हिमाचल प्रदेश।
7 समस्त सहायक निदेशक मत्स्य, हिमाचल प्रदेश।

संयुक्त सचिव (मत्स्य पालन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।